## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

**अपील/आरटीआई/69/2020**

बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्रीलाल ,ग्राम लुलहारा पो0 पहरसर तहसील नदबई,जिला भरतपुर ।

**बनाम**

तहसीलदार नदबई ।

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**आदेश** **दिनांक 12.10.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्रीलाल ,ग्राम लुलहारा पो0 पहरसर तहसील नदबई, जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2020 के द्वारा तहसीलदार नदबई से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट 502 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा तहसीलदार नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार नदबई से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नदबई से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार नदबई से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार नदबई से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार नदबई को पालनार्थ भेजी जावे एवं अपीलान्ट को भी प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर